# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 290/22 तारीख दायर 29/11/22

1. सुमित्रा देवी पत्नि सुरेशचन्द्र जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलियां भीलवाड़ा (राज.)।

..........प्रार्थीया

**बनाम्**

1. प्यारी पत्नि कैलाशचन्द जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।
2. प्रभुलाल पिता जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।
3. कैलाश पिता मोहनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।

.......विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट**

**–: आदेश :–**

दिनांक 21/2/23

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने जरिये अभिभाषक श्री **अनिल कुमार धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते मौजा ग्राम चान्दजी कि खेडी पटवार हल्का चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलियां की सरहद मे **खाता संख्या 465** पर अंकित **आराजी संख्या 737/1 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि** स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500/– रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम चान्दजी कि खेडी पटवार हल्का चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलियां की सरहद मे **खाता संख्या 465** पर अंकित **आराजी संख्या 737/1 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

**उपखण्ड अधिकारी**
**बिजौलियाँ**

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 290/22 तारीख दायर 29/11/22

प्रेषिति :–

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या 290/22 पत्थरगढ़ी बाबत।

सुमित्रा देवी पत्नि सुरेशचन्द्र जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलियां भीलवाड़ा (राज.)।

............**प्रार्थीया**

**बनाम्**

1. प्यारी पत्नि कैलाशचन्द्र जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।
2. प्रभुलाल पिता जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।
3. कैलाश पिता मोहनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज.)।

.......**विपक्षीगण**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम चान्दजी कि खेडी पटवार हल्का चान्दजी कि खेडी तहसील बिजौलियां की सरहद मे **खाता संख्या 465** पर अंकित **आराजी संख्या 737/1 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि** की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। विपक्षीगण एवं पडोसी को वक्त पत्थरगढी मोके पर उपस्थित रहने बाबत सुचना दी जावे। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/–रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थीया अदा करेगी।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

**उपखण्ड अधिकारी**

**बिजौलियाँ**